

कार्यालय कलेक्टर (शिक्षा विभाग) जिला बस्तर जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/4261 /उ.अं.मा.वि./संविदा/विज्ञापन/2022,

जगदलपुर दिनांक 26/07/2022

—:: विज्ञापन ::—

संचालक, लोक शिक्षण, छ0ग0 रायपुर, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र0/स्वा.आ.अं.मा./2021-22/161 रायपुर, दिनांक 10.05.2021 एवं छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का आदेश क्र0/एफ 23-08/2020/20-दो/53, 54, 55 एवं 56 अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक 24.06.2022 एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (SAGES) संचालन प्रबंधन समिति करंदोला भानपुरी/धरमपुरा/बकावण्ड /नानगुर का आदेश क्र0/3878, 3880, 3882, 3884 जगदलपुर, दिनांक 12.07.2022 तथा समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में बस्तर जिले के विकासखण्ड बस्तर/जगदलपुर/बकावण्ड में 04 नवीन स्वीकृत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार शिक्षक संवर्ग एवं अन्य पदों को संविदा नियुक्ति से भरा जाना है। इस हेतु योग्य उम्मीदवारों से विज्ञापन में निहित शर्तों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से ही प्रस्तुत कर सकेंगे। विज्ञापन प्रारूप एवं विज्ञापन के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश, शर्तें एवं नियम बस्तर जिले की वेबसाईट www.bastar.gov.in में देखा जा सकता है। आवेदन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10/08/2022 सांय 5:30 बजे तक होगी। अंतिम तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण, निर्धारित अर्हताएं, नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :-

सेजेस विद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	वेतनमान	विषय	आरक्षण वर्ग	SAGES करंदोला (भानपुरी)	SAGES बकावण्ड	SAGES धरमपुरा	SAGES नानगुर	योग	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
1	व्याख्याता	38100/-	हिन्दी	अनारक्षित	1	1	1	1	4	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि एवं बी0एड0 प्रशिक्षित। संस्कृत एवं हिन्दी विषय हेतु अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता शिथिल रहेगी।
			अंग्रेजी	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			संस्कृत	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			गणित	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			सामाजिक विज्ञान	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			जीवविज्ञान	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			रसायन	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			भौतिकी	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
2	शिक्षक (पूर्व.मा. शाला)	35400/-	संस्कृत	अनारक्षित	1	1	1	1	4	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक उपाधि एवं बी0एड0 प्रशिक्षित। (अंग्रेजी विषय के शिक्षक हेतु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में अंग्रेजी साहित्य एक विषय होना अनिवार्य है एवं इसी प्रकार संस्कृत विषय के शिक्षक हेतु अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है किन्तु अभ्यर्थी की स्नातक परीक्षा में संस्कृत साहित्य एक विषय अनिवार्य रूप से रहा हो)। शिक्षक पात्रता (TET) उत्तीर्ण को
			अंग्रेजी	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			विज्ञान	अनारक्षित	1	1	1	1	4	
			गणित	अनारक्षित	1	1	1	1	4	

										प्रथम वरीयता दिया जावेगा।
3	कम्प्यूटर शिक्षक	35400/-	-	अनारक्षित	1	1	1	1	4	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ अंग्रेजी माध्यम से कम्प्यूटर साईंस/आई.टी. में बी.एस.सी./बी.ई./बी.टेक./बी.सी.ए.योग्यता।
4	सहायक शिक्षक (प्राथमिक शाला)	25300/-	विज्ञान	अनारक्षित	1	1	1	1	4	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान/गणित विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी0एड0/ डी0एल0एड0 प्रशिक्षित। शिक्षक पात्रता (TET) उत्तीर्ण को प्रथम वरीयता दिया जावेगा।
				अजजा	2	2	2	2	8	
			कला	अनारक्षित	1	1	1	1	4	मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में कला विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं डी0एड0/ डी0एल0एड0 प्रशिक्षित। शिक्षक पात्रता (TET) उत्तीर्ण को प्रथम वरीयता दिया जावेगा।
				अजजा	1	1	1	1	4	
5	ग्रंथपाल	22400/-	-	अनारक्षित	-	-	-	1	1	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक परीक्षा के साथ बी.लिब./डी.लिब. परीक्षा उत्तीर्ण।
योग :-					18	18	18	19	73	-

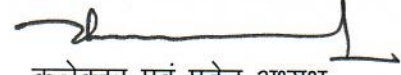
चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा-निर्देश एवं नियम व शर्तें :-

- विषयवार जिन विज्ञापित पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से हो जावेगी उन पदों पर संविदा नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन द्वारा जारी नवीन प्रचलित संविदा नियुक्ति नियम 2012 में निहित शर्तों के अधीन होगी।
- आवेदकों द्वारा अपनी संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय से पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- अंग्रेजी माध्यम से शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी न्यूनतम अहर्तादायी बोर्ड/विश्व-विद्यालयीन परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण की है, और उन्हें किसी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में समकक्ष पद एवं विषय पर अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन कार्य का 05 वर्ष लगातार सेवा का अनुभव रखते हों, उनके आवेदन पर भी विचार किया जा सकेगा।
- जिले के स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी। स्थानीय योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाने की स्थिति में जिले के बाहर के उम्मीदवार के आवेदनों पर विचार किया जावेगा।

—

6. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय हेतु समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत समिति विद्यालय के संचालन व शर्तों से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी, जो सर्वमान्य एवं सभी के लिए बाध्यकारी होंगे।
7. संस्कृत एवं हिन्दी विषय के अध्यापन हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन/अध्यापन की बाध्यता शिथिल होगी।
8. व्याख्याता सामाजिक विज्ञान विषय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर राजनीति/इतिहास/अर्थशास्त्र/भूगोल विषय में अंग्रेजी माध्यम से शालेय एवं महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर तथा बी०एड० की उपाधि रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
9. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के सूचना पटल पर चस्पा की जावेगी एवं उसे बस्तर जिले की वेबसाइट www.bastar.gov.in पर देखी जा सकेगा। दावा आपत्ति निराकरण उपरांत मेरिट अनुक्रम सूची का पुनः प्रदर्शन एन.आई.सी. के वेब-पोर्टल पर किया जावेगा।
10. मेरिट अनुक्रम के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जावेगा। जिस हेतु आवेदकों को एन.आई.सी. के वेब-पोर्टल के माध्यम से, उनके मोबाईल-नम्बर (व्हाट्स-एप्प नम्बर) एवं ई-मेल आईडी० पर सूचना पृथक से दी जावेगी। सभी आवेदक अपना मोबाईल-नम्बर (व्हाट्स-एप्प नम्बर) एवं ई-मेल आईडी० अपने आवेदन में अनिवार्य रूप से दर्शायें।
11. अभ्यर्थियों के न्यूनतम अहर्तादायी परीक्षा में प्राप्त अंकों का 80% एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित पूर्णांक 20 में से प्राप्त अंकों के योग में से मेरिट सूची तैयार की जावेगी जिसके आधार पर तैयार की गई मेरिट अनुक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन आवेदित पद पर किया जावेगा। सभी पदों हेतु साक्षात्कार लिया जावेगा।
12. संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन एवं विस्तृत जानकारी बस्तर जिले के वेबसाइट www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है।
13. अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी समस्त शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची व प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, शासकीय सेवा में होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
14. निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत आवेदन मान्य किये जावेंगे। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जायेगी।
15. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक को लिफाफा के उपर सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदित पद का नाम एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
16. आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर जिला जगदलपुर को स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
17. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक एवं अन्य व्यवसायिक योग्यताएँ ही मान्य होंगी।
18. साक्षात्कार हेतु आमंत्रित आवेदकों को अपने समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उनकी स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां 02-02 सेटों में लाना अनिवार्य होगा।
19. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
20. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 10 वीं परीक्षा की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्र में शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु-सीमा में छूट का प्रावधान होगा।
21. शासन से प्राप्त निर्देशों के आधार पर मासिक संविदा-वेतन देय होगा।
22. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि को आगामी वर्ष के लिए बढ़ायें जाने पर विचार किया जावेगा।

23. संविदा अवधि के दौरान एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
24. विज्ञापन पदों की संख्या घटाई, बढ़ाई अथवा विज्ञापन निरस्त भी किया जा सकता है।
25. संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।



कलेक्टर एवं पदेन अध्यक्ष
स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला-बस्तर